


न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी जिला नीमकाथाना (राज.)

रीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज वाद पत्र संख्या 78 / 2021 GCMS NO. 2021/526 उनवानी शीशराम बनाम रूडाराम आदि अन्तर्गत धारा 88, 188 आर.टी.एक्ट 1955	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
11.2024	<p>पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी हाजिर नहीं आये। पत्रावली में सुनवाई हेतु अधिवक्ता वादी को आवाज दिलवाई गई। आवाज पर अधिवक्ता वादी हाजिर नहीं आये तथा न ही वादी हाजिर आया। न्यायालय समय तक रूक-रूक कर बार-बार आवाज दिलवाई गई। इसके उपरान्त भी अधिवक्ता वादी हाजिर नहीं आये। वादी स्वयं भी हाजिर नहीं आया तथा न ही वादी की ओर से अन्य कोई हाजिर आया। अतः वादी का हस्तगत वाद अदम हाजरी अदम पैरवी में सिविल प्रक्रिया संहिता-1908 के नियम 9 नियम 3 के तहत खारिज किया जाता है। पत्रावली दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।</p> <div data-bbox="174 766 403 997"></div> <div data-bbox="559 756 903 976"><p>(बन्शी धर योगी) उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी जिला नीमकाथाना (राज0) उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी</p></div>	